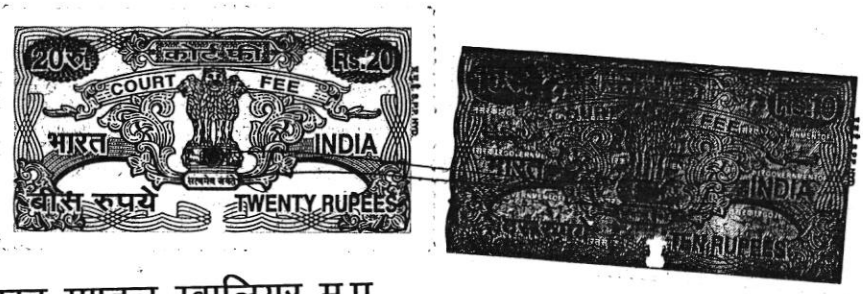

52

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क. आर/...../2017 निगरानी R 649-I-17

रामलाल पुत्र श्री भगवानदास कुम्हार

आयु 49 वर्ष व्यवसाय कृषि

निवासी–ग्राम व तहसील बड़ौनी जिला दतिया

—— **आवेदक**

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला दतिया

2. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल दतिया

——**अनावेदकगण**

पुर्नरीक्षण याचिका धारा 50 भूराजस्व संहिता विरूद्ध सीमांकन 14/6/2016 प्रकरण कमांक 37/बी 121/15–16 के अंतर्गत संयुक्त टीम वनमण्डल एवं राजस्व अधिकारी द्वारा किये सीमांकन दिनांकी 14.6.2016 न्यायालय कलेक्टर दतिया ।

S.K. Jain

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर पुर्नरीक्षण याचिका निम्नांकित प्रस्तुत है –

संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे कमांक 1369, 1701/1, 1703/1 एवं 1757 कुल रकवा 4.04 हेक्टर स्थित ग्राम बड़ौनी जिला दतिया है उक्त कृषि भूमि आवेदक द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कुंवर धर्मपाल सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह बुंदेला से दिनांक 14.7.2000 को क्रय की है । उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात् से आवेदक का ही कब्जा है तथा उस पर खेती करता चला आ रहा है ।

2– यह कि, उक्त भूमि का कलेक्टर भूप्रबंधन जिला दतिया द्वारा दिनांक 23.10.2009 को वन अधिकारियों एंव राजस्व अधिकारी की संयुक्त टीम के साथ मौके पर उपस्थित होकर सर्वे नं. 1701 वन सीमा के बाहर पाया गया था जिसका मौके पर पंचनामा एवं नक्शा बनाया गया था। जिसपर वन अधिकारियों व्दारा अपनी सहमति दी। उक्त सीमांकन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । उक्त सीमांकन अंतिम

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – दतिया

प्रकरण क्रमांक – निगरानी 649–एक/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14/12/17	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण सीमांकन का है । अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य पत्र एवं उसके साथ संलग्न पंचनामा को देखने से स्पष्ट होता है कि सीमांकन की कार्यवाही जो राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा की गई है उस कार्यवाही के दौरान आवेदक मौजूद था और उनके समक्ष सी.पी.एस. द्वारा रीडिंग लिए जाने का उल्लेख है परंतु उनके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में यह कहना कि प्रश्नाधीन सीमांक त्रुटिपूर्ण होकर अवैध है सही नहीं है । सीमांकन की सूचना आवेदक को नहीं दी गई इसका भी कोई प्रमाण आवेदक द्वारा पेश नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में इस निगरानी को ग्राह्य किये जाने का कोई औचितय नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	